गोपनीय

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
गोरखपुर, दिनांक 25.05.2023

सं0:2021/मेड/सतर्कता/निस्तारण

चिकित्सा निदेशक/ल0न0मि0रे0चि/गोरखपुर ।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/इज्जतनगर, वाराणसी लखनऊ ।

विषय : रेलवे चिकित्सालयों में की जा रही प्ररम्भिक चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में।
संदर्भ : उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर का पत्र संख्या:V9/2023/03/02017/PC/181 दिनांक 23.05.2023

उक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया संदर्भित पत्र में अंकित रेलवे बोर्ड के पत्र सं0:2014/H/5/8 (Policy) दि0 07.07.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें, ताकि सतर्कता विभाग को सूचित किया जा सके ।

संलग्नक–यथोपरि

25/05/23
(डा0 श्याम सुन्दर)
मुख्य स्वास्थ्य निदेशक

प्रतिलिपि – उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ ।

र रेलवे
NO STERN RAILWAY

Confidential

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर-273012

No. V9/2023/03/02017/PC/181

Dated- 23.05.2023

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

विषय :- रेलवे चिकित्सालयों में की जा रही प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या *2014/H/5/8 (Policy), दिनांक 07 /07/2017* को संज्ञान में लेकर की गयी एक सतर्कता जाँच के अनुक्रम में पाया गया है कि इस पत्र के अनुपालन में किसी भी मेडिकल श्रेणी में प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा में 'अयोग्य' पाए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा तीन चिकित्सकों की मेडिकल कमेटी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। साथ ही इस पत्र द्वारा मेडिकल कमेटी के चिकित्सकों का ग्रेड भी निर्धारित किया गया है। इस पत्र के अनुसार मेडिकल कमेटी में दो चिकित्सक 'कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड' तथा एक अन्य चिकित्सक 'मंडल चिकित्सा अधिकारी' रैंक का होना चाहिए। जबकि लनामिरेचि, गोरखपुर में गठित चार मेडिकल कमेटियों की सतर्कता जाँच में पाया गया है कि इन चार में से तीन मेडिकल कमेटियों में चिकित्सकों के शामिल किये जाने संबंधी निर्णय में उपरोक्त रेलवे बोर्ड के पत्र में निर्धारित चिकित्सकों के ग्रेड का अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा मेडिकल कमेटी में जूनियर ग्रेड के चिकित्सकों को शामिल करते हुए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की गयी थी।

चूँकि चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा विभाग द्वारा किये जाने वाला एक अति संवेदनशील कार्य है और यह अभ्यर्थियों के रेलवे में चयन को निर्धारित करता है, साथ ही इस कार्य में मेडिकल कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय संरक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण होता है। इसी तथ्य को संज्ञान में लेकर उपरोक्त रेलवे बोर्ड पत्र द्वारा मेडिकल कमेटी हेतु सीनियर ग्रेड के चिकित्सकों को कमेटी में शामिल किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः इस पत्र के अनुपालन में निर्धारित ग्रेड के चिकित्सकों को मेडिकल कमेटी में शामिल किये जाने हेतु सभी मंडल चिकित्सालयों एवं लनामिरेचि, गोरखपुर को निर्देशित करें, ताकि इस पत्र का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कृपया कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। इस पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

23/5/23

(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

O/C